

कर राजस्व

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2021-2022	बजट 2022-2023	संशोधित 2022-2023	(₹ करोड़) बजट 2023-2024
कर राजस्व						
1. निगम कर						
1.01.	संग्रहण	0020	659005.02	623076.92	722596.15	798468.75
1.02.	अधिभार	0020	15890.31	69230.77	80288.46	88718.75
1.03.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0020	27140.05	27692.31	32115.39	35487.50
1.04.	शास्तियां	0020	92.09
1.05.	ब्याज वसूलियां	0020	2240.31
1.06.	घरेलू कम्पनियों के बट्टे खाते डाले गए लाभों पर कर	0020	3170.04
1.07.	यूनिटधारकों को वितरित आय पर कर	0020	4164.21
1.08.	विविध प्राप्तियां	0020	335.30
जोड़-निगम कर			712037.33	720000.00	835000.00	922675.00
2. आय पर कर						
2.01.	संग्रहण	0021	635441.62	588461.54	683653.85	755437.50
2.02.	अधिभार	0021	7922.88	65384.61	75961.53	83937.50
2.03.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0021	25592.28	26153.85	30384.62	33575.00
2.04.	शास्तियां	0021	179.72
2.05.	ब्याज वसूलियां	0021	3879.38
2.06.	काले धन के तहत कर	0021	35.24
2.07.	विविध प्राप्तियां	0021	49.36
2.09.	प्रतिभूति लेन देन कर	0034	23191.03	20000.00	25000.00	27625.00
2.10.	होटल प्राप्ति कर	0023	0.25
2.11.	ब्याज कर	0024	3.96
2.12.	अनुपंगी लाभ कर	0026	-54.98
2.13.	आय तथा व्यय पर अन्य कर					
2.13.01.	व्यय कर	0028	2.08
2.13.02.	आय घोषणा योजना, 2016	0028	0.38
2.13.03.	अन्य प्राप्तियां	0028
जोड़-आय तथा व्यय पर अन्य कर			2.46
2.14.	कृषि कल्याण उपकर	0028	0.01
2.16.	पीएम गरीब कल्याण योजना 2016 के लिए कराधान और निवेश संबंधी व्यवस्था	0028	0.01
जोड़-आय पर कर			696243.22	700000.00	815000.00	900575.00
3. संपदा कर						
3.01.	संपदा शुल्क	0031	1.74
3.02.	धन पर कर	0032	10.59
जोड़-संपदा कर			12.33
4. पण्य लेन - देन कर						
4.01.	वस्तु लेनदेन कर के अंतर्गत संग्रहण	0036	0.02
4.04.	गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम	0036
जोड़-पण्य लेन - देन कर			0.02
5. सीमा शुल्क						
5.01.	आयात शुल्क					
5.01.01.	बुनियादी शुल्क (स्क्रिप्स के नामे सहित)					
5.01.01.01.	स्क्रिप्स के नामे को छोड़कर	0037	124641.24	136810.00	116308.86	139529.69
5.01.01.02.	विभिन्न स्क्रिप आधारित योजनाओं के कारण खाते में नामे के माध्यम से	0037	21377.32	31190.00	41540.14	41070.31
जोड़ - बुनियादी शुल्क (स्क्रिप्स के नामे सहित)			146018.56	168000.00	157849.00	180600.00

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2021-2022	बजट 2022-2023	संशोधित 2022-2023	(₹ करोड़) बजट 2023-2024
5.01.02.	सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	0037	0.85
5.01.03.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0037	936.57	900.00	1000.00	1030.00
5.01.04.	प्राथमिक शिक्षा उपकर	0037	10.63
5.01.05.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	0.03
5.01.06.	समाज कल्याण अधिभार	0037	16945.06	14280.00	17000.00	19500.00
5.01.07.	स्वास्थ्य कर	0037	31.02	870.00	20.00	20.00
5.01.08.	कृषि अवसंरचना और विकास उपकर	0037	28885.92	27400.00	25000.00	28400.00
<i>जोड़-आयात शुल्क</i>			<i>192828.64</i>	<i>211450.00</i>	<i>200869.00</i>	<i>229550.00</i>
5.02.	निर्यात शुल्क	0037	-1575.43	50.00	400.00	50.00
5.03.	निर्यात पर उपकर	0037	1457.10	1500.00	2100.00	1500.00
5.04.	अन्य प्राप्तियां	0037	2419.09	...	5000.00	2000.00
5.05.	सार्वजनिक नीलामी द्वारा मोने की बिक्री	0037	62.70	...	2.00	...
5.06.	जन्त माल की बिक्री प्राप्तियां	0037	2414.18	...	762.00	...
5.07.	स्वर्ण पर सीमा शुल्क	0037
5.08.	निर्धारित के अग्रिम भुगतान की प्राप्ति	0037	117.75
5.09.	सुरक्षा शुल्क	0037	1018.73
5.10.	सड़क और अवसंरचना उपकर	0037	1.82
5.11.	एंटी डंपिंग शुल्क	0037	983.72	...	867.00	...
<i>जोड़-सीमा शुल्क</i>			<i>199728.30</i>	<i>213000.00</i>	<i>210000.00</i>	<i>233100.00</i>
6. केंद्रीय उत्पाद शुल्क						
6.01.	बुनियादी उत्पाद शुल्क	0038	25458.92	26900.00	30800.00	33100.00
6.02.	मोटर स्प्रीट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	26565.25
6.03.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	61820.95
6.04.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	6138.30	5500.00	7000.00	7750.00
6.05.	विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	90548.03	95750.00	154500.00	181500.00
6.06.	तम्बाकू उत्पादों पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	0.01
6.07.	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर					
6.07.01.	प्राथमिक शिक्षा उपकर	0038	3.09
6.07.02.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	1.52
6.07.03.	कच्चे तेल पर उपकर	0038	19353.84	18020.00	21000.00	20540.00
6.07.04.	बीड़ी पर उपकर	0038	0.01
6.07.05.	चीनी पर उपकर	0038	0.02
6.07.06.	ऑटोमोबाइल पर उपकर	0038	0.01
6.07.07.	अन्य	0038	0.02
6.07.08.	स्वच्छ पर्यावरण उपकर	0038	23.86
6.07.09.	अवसंरचना उपकर	0038
6.07.10.	मोटर स्प्रीट और उच्च गति वाले डीजल तेल (सड़क और अवसंरचना उपकर) पर उत्पाद शुल्क	0038	107598.94	138450.00	58200.00	45110.00
6.07.11.	कृषि अवसंरचना और विकास उपकर	0038	48064.76	50380.00	48500.00	51000.00
<i>जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर</i>			<i>175046.07</i>	<i>206850.00</i>	<i>127700.00</i>	<i>116650.00</i>
6.08.	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर					
6.08.01.	रबड़	0038
6.08.02.	जूट	0038	0.04
6.08.03.	चाय	0038
6.08.04.	तेल और तिलहन	0038
6.08.05.	कपास	0038
6.08.06.	तंबाकू	0038	0.07

			(₹ करोड़)			
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक	बजट	संशोधित	बजट	
		2021-2022	2022-2023	2022-2023	2023-2024	
6.08.07.	कागज	0038	
6.08.08.	नमक	0038	-0.20	
जोड़-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर			-0.09	
6.09.	उत्पाद के सहकारी शुल्क	0038	-6.90	
6.10.	विशेष उत्पाद कर	0038	5095.79	
6.11.	विद्युत सृजन पर उत्पाद शुल्क	0038	
6.12.	कपड़ा और कपड़े के बने वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	
6.13.	खनिज उत्पाद पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	
6.14.	बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	-0.43	
6.15.	टीवी सेट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	-1.49	
6.16.	अन्य शुल्क	0038	48.52	
6.17.	जब्त वस्तुओं की बिक्री	0038	0.05	
6.18.	विविध प्राप्तियां	0038	95.09	
जोड़-केंद्रीय उत्पाद शुल्क			390808.07	335000.00	320000.00	339000.00
7. सेवा कर						
7.01.	संग्रहण	0044	992.29	2000.00	1000.00	500.00
7.02.	प्राथमिक शिक्षा उपकर	0044	1.72
7.03.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	0.95
7.04.	स्वच्छ भारत उपकर	0044	9.63
7.05.	कृषि कल्याण उपकर	0044	7.23
7.06.	अन्य प्राप्तियां	0044
जोड़-सेवा कर			1011.82	2000.00	1000.00	500.00
8. माल एवं सेवा कर (जीएसटी)						
8.01.	केंद्रीय माल एवं सेवा कर	0005	591226.14	660000.00	724000.00	811600.00
8.02.	एकीकृत माल एवं सेवा कर	0008	2119.08
8.03.	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर	0009	104768.66	120000.00	130000.00	145000.00
जोड़-माल एवं सेवा कर (जीएसटी)			698113.88	780000.00	854000.00	956600.00
9. वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क						
9.01.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0040
9.02.	अन्य कर	0045	3835.72
जोड़-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क			3835.72
10. संघ राज्य क्षेत्रों के कर						
10.01.	भू राजस्व	0710	9.93	27.05	22.92	28.44
10.02.	स्टाम्प और पंजीकरण	0710	301.33	422.90	351.90	443.90
10.03.	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	1223.94	1716.50	1745.00	1890.00
10.04.	बिक्री कर	0710	1329.41	1487.01	1557.00	1665.00
10.05.	वाहनों पर कर	0710	323.29	368.45	406.00	387.00
10.06.	सामान और यात्रियों पर कर	0710	9.33	28.50	13.50	15.00
10.07.	विजली पर कर और शुल्क	0710	22.88	64.00	40.00	40.00
10.08.	अन्य कर और शुल्क	0710	4.88	0.11	3.25	4.10
10.09.	संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी)	0007	4298.94	3705.61	3927.92	3935.00
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर			7523.93	7820.13	8067.49	8408.44
11. घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी						
11.01.	एनसीसीडी (सीमा शुल्क)	0037	-880.00	-900.00	-1000.00	-1030.00
11.02.	एनसीसीडी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	0038	-5250.00	-5500.00	-7000.00	-7750.00
निवल-घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी			-6130.00	-6400.00	-8000.00	-8780.00
12. घटाइए-राज्यों का हिस्सा						
		0710	-898391.57	-816649.47	-915798.36	-1021447.91

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2021-2022	बजट 2022-2023	संशोधित 2022-2023	(₹ करोड़)
					बजट 2023-2024
13. घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन	0710	-32607.34	...
14. पूंजीगत संपत्ति और अन्य लेनदेन पर कर					
14.01. स्टांप शुल्क और पूंजीकरण शुल्क					
14.01.01. 01- न्यायालयी स्टांप शुल्क - स्टांप के रूप में जारी न्यायालय शुल्क	0030	0.46
जोड़-कर राजस्व		1804793.51	1934770.66	2086661.79	2330630.53
कुल जोड़		1804793.51	1934770.66	2086661.79	2330630.53

1. **निगम कर** : कर कम्पनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2022-2023 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, 7,20,000.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 8,35,000 करोड़ रुपए है। 2023-2024 का बजट अनुमान 9,22,675 करोड़ रुपए है।

2. **आय पर कर** : यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों से भिन्न, व्यक्तियों, फर्मों आदि पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्यतया प्रतिभूति लेन-देन कर शामिल है जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में स्टॉक एक्सचेंजों में और म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए लेन-देन पर लगाया जाता है। 2022-2023 की आय पर करों का संशोधित अनुमान, 7,00,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 8,15,000 करोड़ रुपए है। 2023-2024 के लिए बजट अनुमान 9,00,575 करोड़ रुपए है।

आय कर अतिशुल्क सहित का @ 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर वित्त वर्ष 2018-19 से लगाई गई है।

3. **संपदा कर**: धन कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों पर लगाया जाता है। वर्ष 2020-2021 के लिए धन कर का वास्तविक संग्रह 10.59 करोड़ रु. था। इस कर को 2016-17 से समाप्त किया गया।

5. **सीमा शुल्क** : वर्ष 2022-23 हेतु सीमा शुल्क के लिए 2,13,000 करोड़ रु. के बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान 2,10,000 करोड़ रु. है। वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान 2,33,100 करोड़ रु. है।

5.01.01. **बुनियादी शुल्क स्क्रिप्स के नामे सहित** : सीमा शुल्क का मूलभूत शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित माल पर उग्रहणीय है।

5.01.01.01. **स्क्रिप्स के नामे को छोड़कर** : आयातित माल पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत मूल सीमा शुल्क वसूला जाता है।

5.01.01.02. **विभिन्न स्क्रिप्स आधारित योजनाओं के कारण खाते में नामे के माध्यम से** : वर्तमान योजनाओं के अलावा, कुछ ऐसी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हैं, जिनका उपयोग वर्तमान वर्ष में एफटीपी की शर्तों में पूर्व में लागू योजनाओं से संबंध में किया गया और शुल्क क्रेडिट स्क्रिप बकाए वर्तमान वर्ष में स्वीकार किए गए। शुल्क क्रेडिट योजना में निर्यातकों के लिए कुल क्रेडिट राशि की व्यवस्था की गई है, जिसका प्रयोग मूल सीमाशुल्क के भुगतान के लिए किया जाता है। शुल्क क्रेडिट की अनुमति अन्य बातों के साथ-साथ निर्याती वस्तुओं पर लगाए गए कर/शुल्क/उपकर की प्रतिपूर्ति के लिए दी गई है। इन स्क्रिप को सीमा शुल्क ईडीआई में रखे गए निर्यातक के लेजर खाते में दर्ज किया जाता है। ऐसी योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- (i) भारत से समान का निर्यात योजना (एमईआईएस) (सं.अ. 2022-23, 9002.09 करोड़ रु., ब.अ. 2023-24, 2450.12 करोड़ रु.,)
- (ii) भारत से सेवाओं का निर्यात योजना (एसईआईएस) (सं.अ. 2022-23, 4284.05 करोड़ रु., ब.अ. 2023-24, 2433.12 करोड़ रु.,)
- (iii) राज्य और केंद्रीय करों एवं वसूलियों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना (सं.अ. 2022-23, 12122.04 करोड़ रु., ब.अ. 2023-24, 10716.71 करोड़ रु.,)
- (iv) राज्य वसूलियों पर छूट (आरओएसएल) योजना (ब.अ. 2023-24, 165.41 करोड़ रु.,)
- v) मोबाइल फोन के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त तदर्थ लाभांश प्रोत्साहन (ब.अ. 2023-24, 64.90 करोड़ रु.,)
- (vi) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट (आरओडीटीईपी) (सं.अ. 2022-23 15928.71 करोड़ रु., ब.अ. 2023-24, 22925.57 करोड़ रु.,)
- (vii) टारगेट प्लस स्कीम (टीपीएस) (सं.अ. 2022-23 129.26 करोड़ रु., ब.अ. 2023-24, 1443.63 करोड़ रु.,)
- (viii) फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस) और बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद योजना (सं.अ. 2022-23, 59.01 करोड़ रु., ब.अ. 2023-24, 357.22 करोड़ रु.,)
- (ix) फोकस बाजार योजना (एफएमएस) (सं.अ. 2022-23, 1.28 करोड़ रु., ब.अ. 2023-24, 115.57 करोड़ रु.,)
- (x) विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) (सं.अ. 2022-23, 0.18 करोड़ रु., ब.अ. 2023-24, 90.79 करोड़ रु.,)

- (xi) स्टेटस धारक प्रोत्साहन योजना (एसएचआईएस) (सं. अ. 2022-23, 4.22 करोड़ रु., ब.अ. 2023-24, 166.38 करोड़ रु.,)
 (xii) वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना (सं.अ. 2022-23, 9.3 करोड़ रु., ब.अ. 2023-24, 140.89 करोड़ रु.,)

5.01.02. सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क : सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत उग्रहरणीय है जो घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पादों पर उग्रहरणीय उत्पाद शुल्क के समतुल्य है। इस शुल्क को 01 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित (कुछ पेट्रोलियम उत्पादों, जो जीएसटी से बाहर हैं को छोड़कर) कर लिया गया है।

5.01.03. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क : वित्त अधिनियम, 2001 के तहत विनिर्दिष्ट तंबाकू उत्पादों पर और वित्त अधिनियम, 2003 के तहत कच्चे पेट्रोलियम उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क वसूला जाता है। अन्य मदों पर एनसीसीडी को 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिलाया गया है।

5.01.07. स्वास्थ्य उपकर : यह कुछ चिकित्सा उपकरणों पर सीमा शुल्क के रूप में लगाया गया उप कर है।

5.01.08. कृषि अवसंरचना और विकास उपकर: कृषि अवसंरचना और अन्य विकास व्यय के वित्त पोषण के लिए कृषि अवसंरचना एवं विकास उप-कर को वित्त अधिनियम, 2021 के तहत सीमा शुल्क के प्रभार के रूप में वसूला जाता है।

5.02. निर्यात शुल्क: कुछ विनिर्दिष्ट मदों जैसे लोहा और क्रोमियम के अयस्कों और सान्द्रणों आदि के निर्यात पर शुल्क लगाया जाता है।

6. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 2022-23 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संशोधित अनुमान 3,20,000 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमान 3,35,000 करोड़ रुपए है। 2023-2024 के लिए ब.अ. 3,39,000 करोड़ रुपए है।

6.01. बुनियादी उत्पाद शुल्क : केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के तहत बुनियादी उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। इस शुल्क को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी के तहत मिला दिया गया है। (पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर, जो जीएसटी में नहीं आते हैं)

6.02. मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क: मोटर स्पिरिट पर उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 द्वारा लगाया जाता है। इस शुल्क को सड़क एवं अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित किया गया है।

6.04. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क: राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क, कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर वित्त अधिनियम, 2001 के तहत लगाया जाता था और वित्त अधिनियम, 2003 में उस लेवी को कच्चे पेट्रोलियम पर लगाया गया। अन्य मदों पर एनसीसीडी को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिलाया गया है।

6.05. विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क : वित्त अधिनियम, 2002 के तहत विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) वसूला जाता है। इसे सामान्य रूप से सरचार्ज कहा जाता है। मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और हाई स्पीड डीजल ऑयल (एचएसडी) के अलावा, अब एसएईडी को कूड पेट्रोलियम एवं एविएशन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर भी वसूला जाता है।

6.07.10.मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल तेल पर उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) : अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वित्त अधिनियम, 2018 के तहत सड़क एवं अवसंरचना उप कर (आरआईसी) को एक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में वसूला जाता है।

6.07.11. कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) : सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुछ सामानों पर कृषि अवसंरचना और अन्य विकास व्यय के वित्तपोषण के उद्देश्य से वित्त अधिनियम, 2021 के तहत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में कृषि अवसंरचना और विकास उप कर वसूला जाता है।

7. सेवा कर : सेवा कर की वसूली को 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिला दिया गया है। वर्ष 2022-2023 के लिए सेवा कर अवशेष (बकाया) की संशोधित अनुमान, 2,000 करोड़ रुपये की बजट अनुमान की तुलना में 1,000 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सेवा कर अवशेष (बकाया) हेतु बजट अनुमान 500 करोड़ रुपये है।

8. माल एवं सेवा कर (जीएसटी): माल एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई, 2017 से प्रभाव में आया है। जीएसटी मानव उपभोग के एल्कोहल युक्त शराब की आपूर्ति को छोड़कर माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीजीएसटी का संशोधित अनुमान 7,24,000 करोड़ रुपए है जबकि ब.अ. 6,60,000 करोड़ रुपए है। सीजीएसटी का वित्त वर्ष 2023-24 का ब.अ. 8,11,600 करोड़ रुपए है। आईजीएसटी राजस्व ऋणों के प्रति-उपयोग के परिणाम स्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच समानुपात विभाजन और निधि के निपटारे के अध्यधीन है। जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर के संबंध में वर्ष 2022-23 का सं.अ. और 2023-24 का ब.अ. क्रमशः 1,30,000 करोड़ रु. और 1,45,000 करोड़ रु. है।

13. घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन: इस राजकोषीय वर्ष में किए जाने वाले पूर्व अवधि के कर अंतरण के समायोजन के कारण राज्यों को समायोजन के रूप में 32,607.34 करोड़ रु. का भुगतान किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए अतिरिक्त अंतरण के लिए 862.84 करोड़ रु. की वसूलियों को प्रभावी बनाने के बाद, इसे भारत के सी एंड एजी द्वारा प्रमाणित के साथ तुलना करने पर, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए करों के वास्तविक संग्रहण और राज्यों के अनुमानित हिस्से के बीच अंतर के कारण राज्यों को 33,470.18 करोड़ रु. का भुगतान किया जाना है। तत्कालीन राज्य जम्मू व कश्मीर (अब कानूनन संघ राज्य क्षेत्र) की 41.72 करोड़ रु की राशि के समायोजन योग्य हिस्से को केंद्रीय सहायता के माध्यम से पहले ही अंतरित किया गया है। आंकड़े अनुमानित हैं और राज्य सरकारों से वसूली जाने योग्य बकाया देयताओं को ध्यान में रखते हुए इनमें परिवर्तन हो सकता है।